भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2905

08 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली

2905. डॉ. राजकुमार सांगवानः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का उत्तर प्रदेश राज्य में अन्यत्र, विशेष रूप से दिल्ली से बागपत बड़ौत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तक दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की तर्ज पर कोई योजना लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग):राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने एनसीआर-2032 के लिए कार्यात्मक परिवहन योजना तैयार की है, जिसमें एनसीआर में रेल आधारित कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए एनसीआर के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों को हाई-स्पीड रेल आधारित यात्री परिवहन सेवाओं से जोड़ने के लिए आठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कोरिडोर अभिनिर्धारित किए हैं अर्थात(i) दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर (ii) दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ (iii) दिल्ली-सोनीपत-पानीपत (iv) दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-पलवल (v) दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक (vi) दिल्ली-शाहदरा- बड़ौत (vii) गाजियाबाद-खुर्जा और (viii) गाजियाबाद-हापुड़।

भारत के पूर्ववर्ती योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा नियुक्त टास्क फोर्स ने कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तीन आरआरटीएस कॉरिडोर को प्राथमिकता दी थी:

- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ
- दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर
- दिल्ली-पानीपत

उपरोक्त तीन कॉरिडोर में से, 82.15 किलोमीटर दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को केंद्र सरकार द्वारा पहले ही मार्च, 2019 में मंजूरी दी जा चुकी है।

*****